



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112023-250242
CG-DL-E-24112023-250242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945

No. 681]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 864(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 26 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“27. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल” ।

[फा. सं. 1/3/2021-आईआर-II]

सोमदत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किया गया था:—

(i) सा.का.नि. सं. 347 तारीख 28 सितम्बर, 2005;

- (ii) सा.का.नि. सं. 235(अ), तारीख 28 मार्च, 2008;
- (iii) सा.का.नि. सं.726(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2008;
- (iv) सा.का.नि. सं. 442(अ), तारीख 9 जून, 2011;
- (v) सा.का.नि. सं. 673(अ), तारीख 8 जुलाई, 2016; और
- (vi) सा.का.नि. सं. 319(अ), तारीख 4 मई, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2023

G.S.R 864(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely: —

In the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005, after serial number 26 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -

“27. Indian Computer Emergency Response Team.”

[F. No. 1/3/2021-IR II]

S. D. SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The second Schedule to the Right to Information Act, 2005 was amended *vide* notification numbers, -

- (i) G.S.R. No. 347, dated the 28th September, 2005,
- (ii) G.S.R. No. 235(E), dated the 28th March, 2008;
- (iii) G.S.R. No. 726(E), dated the 8th October, 2008;
- (iv) G.S.R. No. 442(E), dated the 9th June, 2011;
- (v) G.S.R. No. 673(E), dated the 8th July, 2016; and
- (vi) G.S.R. No.319(E), dated 4th May, 2021